न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 29/2018 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

राजेश कुमार अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर

आवेदक

बनाम

संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री सतीश चन्द गुप्ता, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स बाबा मिल्क डेयरी, अटलबन्द, भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 (1) (zx) एवं 26(2) (ii)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :– 1. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 08.01.2020

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 (1) (zx) एवं 26(2) (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 17.05.2018 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल दिनांक 08.01.2020 को उपस्थिति हुआ। प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दी गई। नियत दिनांक 08.01.2020 को गैरसायल को इस्तगासा में

अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 17.06.2017 को प्रातः 10.45 बजे गैरसायल की फर्म बाबा मिल्क डेयरी का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण डेयरी में 15 लीटर मिश्रित दूध का विक्रय आम जनता के इस्तेमाल के लिये कर रहा था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर 2 लीटर मिश्रित दूध 84/–रूपये में क्रय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–652/एक्ट/2017/673 दिनांक 10.07.2017 द्वारा उक्त मिश्रित दूध का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर का मिश्रित दूध आम जनता को विक्रय कर उक्त अधिनियम की धारा 3 (1) (zx) एवं 26(2) (ii) का उल्लघंन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है क्योकि प्रार्थी काफी समय से दूधियों से दूध क्रय करके विक्रय करता चला आ रह0ा है। जांच में जो कमिया पायी गई है उन्हे सहवनवश एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थी स्वीकार करता है, जिसका मेरे द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायल की यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल ने स्वयं को छोटे स्तर का व्यापारी होना बताया है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का आम जनता के लिये विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 17.06.2017 को गैरसायल की डेयरी से आमजनता के विक्रय हेतु संग्रहित मिश्रित दूध का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 10.07.2017 में अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। खाद्य विश्लेषक अलवर की नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 10.07.2017 में Milk Fat का मानक Minimum=4.50% होना चाहिये था लेकिन 4.60% पाया गया है, B. R. Reading of extracted fat at 40°C का मानक 40.0 से 43.0 होना चाहिये था लेकिन 42.8 पाया गया है, Milk solids not fat का मानक Minimum=8.50% होना चाहिये था लेकिन 6.20% पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं पाये गये है। ऐसी

स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 10000/– रूपये (दस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
न्याय निर्णायन अधिकारी **एवं**
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर